6वीं वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

विजन एवं मिशन

विजन

मध्यप्रदेश राज्य में किमी 236.000 से किमी 332.100 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी - गुना खंड को चार लेन का बनाने की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और संचालन तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा व आराम को सुनिश्चित करना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के कुशल नियोजना और सतर्क मॉनीटरिंग का कड़ाई से अनुपालन करके निर्माण और अनुरक्षण की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए सृजनात्मक निर्माण तकनीकों का प्रयोग।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

विषय सूची

विवरण	**पृष्ठ सं**
कंपनी का परिचय	04
अध्यक्ष का संबोधन	07
निदेशक की रिपोट व उसके अनुबंध	
निदेशकों की रिपोर्ट	11
सी.ई.ओ और सी.एफ.ओ प्रमाणन	30
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	32
एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार	37
फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	46
वित्तीय विवरण	
संशोधित सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट	49
तुलन पत्र	63
लाभ और हानि विवरण	64
रोकड़ प्रवाह विवरण	65
इक्विटी परिवर्तन विवरण	66
वित्तीय विवरणों के नोट	67
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	144

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)

श्री योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

श्री मसूद अहमद
निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री अतुल कुमार : मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनय कुमार आहुजा : मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री इति माटा : कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स वी.एम.अरोड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली - 110017
दूरभाष : 91-11-26545267
फैक्स : 91-11-26854000, 26522000
ई-मेल: cs.irconsgtl@gmail.com
सीआईएन :U45400DL2015GOI280017

परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग-3,
शिवपुरी गुना टोलवे,
मध्य प्रदेश

परियोजना फोटोग्राफ

(राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवपुरी गुना टोलवे, मध्य प्रदेश)

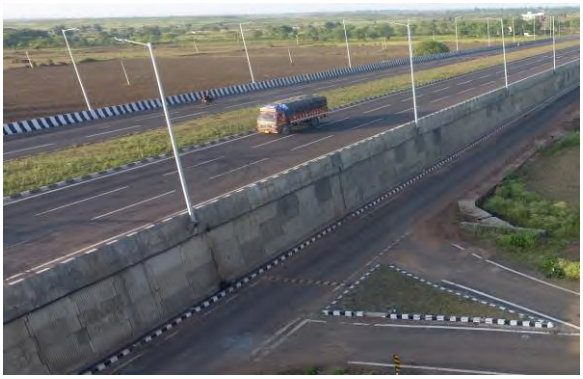

अध्यक्ष का संबोधन

(6वीं एजीएम - 18 अगस्त, 2021)

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष (वि.व) 2020-21 के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे सभी शेयरधारकों को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

मैं आपके सामने इरकॉनएसजीटीएल के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य रखना चाहता हूं।

इरकॉनएसजीटीएल को मई 2015 में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ किए गए रियायत समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, "मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-3 के शिवपुरी गुना खंड को 236.00 किमी से किमी 332.100 (97.74 किमी) तक चार लेन करने" की परियोजना निष्पादित करने के लिए निगमित किया गया था।

परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना के चरण- I (अर्थात 87.5 किमी लंबाई) के लिए परिचालन की वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) निर्धारित समय से डेढ़ महीने पहले अर्थात दिनांक 06 जून, 2018 (आरंभ में 23 जुलाई, 2018 को निर्धारित) को प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार परियोजना पर टोल प्लाजा का संचालन एवं राजस्व वसूली का कार्य दिनांक दिनांक 07 जून, 2018 से प्रारंभ कर दिया गया है और परियोजना संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में है। इरकॉन को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते के अनुसार परियोजना के दूसरे चरण (अर्थात 12.4 किमी लंबाई) के निर्माण के लिए लागत जमा आधार पर ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण यह प्रभावित हुआ है।

'आत्मनिर्भर भारत' के अभिन्न अंग के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा कोविड-19 के प्रभाव और तत्पश्चात कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और अन्य उपायों के कारण सड़क क्षेत्र के ठेकेदारों / डेवलपर्स / छूट प्राप्तकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। आपकी कंपनी रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि मुआवजे के रूप में अप्रत्याशित घटना के तहत इस तरह के नुकसान का दावा करने के लिए रियायत समझौते के तहत संरक्षित है। वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति के बाद, कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर की अप्रत्याशित घटना के कारण आपकी कंपनी द्वारा दावा किए गए राहत के आधार पर, जुलाई, 2021 में एनएचएआई ने राहत के रूप में 29.835 दिनों की अवधि के लिए रियायत अवधि विस्तार हेतु स्वीकृति प्रदान की है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण राहत के लिए एनएचएआई से दावा किया गया है और उनसे शीघ्र प्रतिक्रिया का आशा है।

वित्तीय निष्पादन

कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव के कारण राजस्व की हानि के बावजूद, आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 94.44 करोड़ रूपए की तुलना में 110.78 करोड़ रूपए के परिचालन से राजस्व प्राप्त किया है, जिसमें 17.30% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर पूर्व हानि 14.06 करोड़ रूपए है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह हानि 30.83 करोड़ रूपए थी, जो इसमें 54.39% की कमी को दर्शाती है।

आपकी कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये है। इरकॉनएसजीटीएल ने होल्डिंग कंपनी, इरकॉन से कुल 579.59 करोड़ रूपए का रक्षित ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बकाया रक्षित ऋण 526 करोड़ रूपए है।

आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि होल्डिंग कंपनी से प्राप्त बकाया मौजूदा ऋण सुविधा की समाप्ति के लिए सावधि ऋण सुविधा के पुन: वित्तपोषण के प्रस्ताव को एनएचएआई द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और बाहरी सावधि ऋण सुविधा को अंतिम रूप देने के लिए इस विषय को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनुपालन और प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट गवर्नेंस: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण और इसके संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आपकी कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई होने के परिणामस्वरूप सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू): आपकी कंपनी को डीपीई द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है।

आपकी कंपनी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं।

भावी मार्ग

बीओटी परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, इसे निर्धारित समय-सीमा में ऋण के भुगतान हेतु पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। फास्टेग के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह और उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के मामले में वृद्धि देखी गई है। इसने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को भी काफी कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता के अच्छे अनुभव में वृद्धि हुई है। राजमार्ग उपयोगकर्ताओं में निरंतर वृद्धि और फास्टेग के अधिक प्रयोग से टोल संचालन में अधिक दक्षता लाने और भविष्य में सड़क संपत्ति का सही मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से, एमओआरटीएच और एनएचएआई द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग एवं कंपनी को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, बैंकरों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों और कंपनी के कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

कृते और उनकी ओर से
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
[डीआईएन: 07654014]

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए छठीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं:

पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.व.) के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय मापदंड	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालनों से राजस्व	110.78	94.44
2	अन्य आय	0.38	0.44
3	**कुल आय** [(1) + (2)]	111.16	94.88
4	परियोजना व्यय	40.11	29.58
5	प्रशासनिक व्यय (वित्तीय लागत मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि)	84.96	95.96
6	अन्य व्यय	0.15	0.07
7	**कुल व्यय** [(4) + (5) + (6)]	**125.22**	**125.61**
8	**कर पूर्व लाभ/(हानि)** [(3) – (7)]	**(14.06)**	**(30.73)**
9	**कर पश्चात लाभ/(हानि)**	**(14.06)**	**(30.83)**

2. परिचालन और वित्तीय निष्पादन:

आपकी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 12 मई, 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आरंभ किया गया है, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी चरण

IV के तहत अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न के आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर एनएच-3 के शिवपुरी-गुना सेक्शन के 236.00 किमी से 332.100 किमी को चार लेन का बनाना, जिसकी कुल लंबाई लगभग 97.70 किमी. है। दिनांक 15 जून 2015 के रियायत समझौते के अनुसार, एनएचएआई ने 'नियुक्त तिथि' से 20 वर्षों (निर्माण अवधि सहित) के लिए परियोजना ("रियायत") के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव का अधिकार दिया है और इसका स्तरोन्नयन दो चरणों में किया जाना है अर्थात चरण-1 जिसकी लंबाई 85.31 किलोमीटर (अर्थात 236.000 किलोमीटर से 319.700 किलोमीटर तक) है) जिसकी निष्पादन अवधि 910 दिनों (30 महीने) है और चरण-2 जिसकी लंबाई 12.39 किलोमीटर (किमी 319.700 से किमी 332.100) है जिसकी निष्पादन अवधि 12 महीने है।

एनएचएआई और इरकॉन एसजीटीएल के बीच रियायत समझौता दिनांक 15 जून, 2015 को किया गया था और निर्धारित रियायत अवधि दिनांक 24 जनवरी, 2036 तक है।

परियोजना निष्पादन के लिए स्वीकृत कुल लागत 872.11 करोड़ रूपए है, जिसे निम्नलिखित इक्विटी और ऋण संरचना में आवंटित किया गया है: -

1. इक्विटी शेयर पूंजी (इरकॉन द्वारा धारित 100%): ₹150 करोड़ रूपए
2. ऋण (इरकॉन द्वारा अनुमोदित रक्षित ऋण के रूप में): 722.11 करोड़ रूपए

चरण-1 परियोजना: चरण-I परियोजना के लिए वित्तीय मॉडल में आवंटित कुल लागत 759.98 करोड़ है, जिसके लिए इरकॉन को 642 करोड़ रूपए की मूल ईपीसी लागत पर ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 23 जुलाई, 2018 थी, अर्थात दिनांक 25 जनवरी, 2016 की 'नियुक्त तिथि' से 910 दिनों के भीतर। परियोजना के चरण-I के लिए सीओडी निर्धारित समय से डेढ़ महीने पहले दिनांक 6 जून 2018 को (हालांकि 23 जुलाई 2018 को निर्धारित) प्राप्त किया गया था। चरण-I परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद टोल प्लाजा का प्रचालन एवं राजस्व वसूली का कार्य दिनांक 07 जून, 2018 से प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 07 जून, 2018 से 31 मार्च, 2021 तक टोल प्रचालन से एकत्रित राजस्व 277.48 करोड़ रूपए है। यह परियोजना वर्तमान में, प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में है।

चरण-2 परियोजना: चरण- II परियोजना के लिए वित्तीय मॉडल में आवंटित कुल लागत 112.13 करोड़ रूपए है, जिसके लिए इरकॉन को दिनांक 01 जनवरी, 2021 को लागत जमा आधार पर ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्माण के लिए समापन अवधि, चरण-2 परियोजना की कार्य अवार्ड पत्र या साइट को सौंपने के 12 महीने, जो भी बाद में हो, निर्धारित की गई है। साइट को एनएचएआई द्वारा सौंप दिया गया है और निर्माण कार्य 21 फरवरी, 2021 से शुरू किया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी और बाद में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व की हानि के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में टोल संग्रह और यातायात (वाईओवाई) में क्रमशः 17.26% और 21.88% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल राजस्व 111.16 करोड़ है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 94.88 करोड़ रूपए की तुलना में 17.16% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कर पूर्व हानि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 14.06 करोड़ रूपए थी [12.50 करोड़ रूपए के आवधिक रखरखाव का प्रावधान करने के बाद (वर्तमान मूल्य 10.47 करोड़ रूपए)], जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 30.83 करोड़ रूपए की हानि दर्ज की गई थी जो 54.39% की हानि को दर्शाते हैं।

टोल संव्यवहार के लिए डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एनएचएआई ने हाइब्राइड इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) कार्यक्रम के तहत एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा की सभी प्राप्तियों को फास्टेग के माध्यम से सक्षम करने के लिए नीति तैयार की है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) / एनएचएआई ने पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पर दिनांक 16 फरवरी, 2021 से उपयोगकर्ता शुल्क का कैशलेस संग्रह (अर्थात 100% ई-टोलिंग) लागू किया है। राजमार्ग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्टेग को अपनाने की सुविधा के लिए, एनएचएआई ने दिनांक 01 मार्च 2021 तक 'मुफ्त फास्टेग' अभियान भी शुरू किया है, जिसमें देश के 770 से अधिक टोल प्लाजा (राज्य टोल प्लाजा सहित) पर 100 रूपए की टैग लागत को माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 100% इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए, बिना फास्टेग वाले वाहनों से टोल शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाना था। ईटीसी के लागू होने के बाद, पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पर फास्टेग की पहुंच 60% से बढ़कर 98% हो गई है।

आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के मद्देनजर एक अप्रत्याशित घटना का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के

प्रावधानों के अनुसार, 26 मार्च, 2020 से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के निलंबन सहित देशव्यापी लॉकडाउन किया गया था। दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) / एनएचएआई और संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकरणों द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 महामारी की पहली लहर के कारण, उक्त अप्रत्याशित घटना की समाप्ति के बाद अप्रैल 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के दौरान भी कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर ने प्रभावित किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति के बाद, कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर की अप्रत्याशित घटना के कारण आपकी कंपनी द्वारा दावा की गई राहत के आधार पर, एनएचएआई ने जुलाई, 2021 में राहत के रूप में 29.835 दिनों की निवल अवधि (33.62 दिनों के दावे के प्रति) के लिए रियायत अवधि के विस्तार के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने कोविड-19 की दूसरी लहर की अप्रत्याशित घटना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और भारत सरकार / एमओआरटीएच/ एनएचएआई द्वारा जारी लागू नीतिगत दिशानिर्देशों के संयोजन के साथ रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार एनएचएआई से उचित राहत / दावे की मांग की है।

3. शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास इरकॉनएसजीटीएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी बनी हुई है।

4. लाभांश, आरक्षित और निवल मूल्य:

निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को रिजर्व में 76.25 करोड़ रूपए के ऋणात्मक शेष पर विचार करने के पश्चात, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 73.75 करोड़ रूपए है।

5. रक्षित ऋण:

आपकी कंपनी की 722.11 करोड़ रूपए की संपूर्ण ऋण आवश्यकता को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समायोजित करके, परियोजना का वित्तीय समापन प्राप्त किया गया था। आपकी कंपनी ने कुल 579.59 करोड़ रूपए का ऋण लिया है और होल्डिंग कंपनी से बकाया रक्षित ऋण दिनांक 31 मार्च, 2021 को 526 करोड़ रूपए था।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल ने होल्डिंग कंपनी से प्राप्त बकाया मौजूदा ऋण सुविधा के समापन के लिए 564.15 करोड़ रूपए की पुनर्वित्तीय ऋण सुविधा को मंजूरी दे दी है, जो कि स्टेज-I परियोजना के सीओडी को प्राप्त करने के लिए इरकॉनएसजीटीएल द्वारा उपयोग की गई राशि के अनुरूप है। सावधि ऋण के पुनर्वित्तीयन का प्रस्ताव एनएचएआई के पास लंबित है, और एनएचएआई द्वारा अनुमोदन के पश्चात, पुनर्वित्तीयन को बैंकों के साथ निष्पादित किया जाएगा।

6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, केवल होल्डिंग कंपनी को रिपोर्ट की तारीख के अनुसार 68.59 करोड रूपए के ऋण के पुन:भुगतान को छोड़कर।

7. कोविड-19 के प्रभाव पर विवरण:

कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विवरण का प्रकटन किया गया है।

8. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित विवरण निम्नानुसार हैं:

क. ऊर्जा का संरक्षण:

(i) ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदम या प्रभाव - **शून्य**

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम - **फरवरी 2021 में ₹10.48 लाख (₹0.10 करोड़) की कुल लागत पर परियोजना खंड में सौर ऊर्जा संचालित ब्लिंकर स्थापित किए गए थे।**

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश **- शून्य**

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: **लागू नहीं**

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में प्रयास किए गए;

(ii) इससे प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन;

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात को वित्तीय वर्ष के आरंभ से गिना जाएगा) ;

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;

(ख) आयात का वर्ष;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से समाहित कर लिया गया है;

(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके क्या कारण हैं; तथा

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय।

ग. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय: **लागू नहीं**

(i) अर्जित विदेशी मुद्रा

(ii) विदेशी मुद्रा व्यय

9. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां नहीं की गईं।

10. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण:

निदेशक:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री राजेंद्र सिंह यादव [जिनका डीआईएन: 07752915 है], कार्यकारी निदेशक (सामान्य), इरकॉन के पद से दिनांक 31 अक्टूबर 2020 से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक (अंशकालिक नामित) नहीं रहे। ।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता [डीआईएन: 07598920]	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक कुमार गोयल [डीआईएन: 05308809]	निदेशक
3.	श्री सुरजीत दत्ता [डीआईएन: 06687032]	निदेशक
4.	श्री देवेंद्र कुमार शर्मा [डीआईएन: 08556821]	निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक आपकी कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। निदेशक मंडल, निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है और उनका संक्षिप्त विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, होल्डिंग कंपनी ने दिनांक 13 मई, 2021 से श्री श्याम लाल गुप्ता के स्थान पर श्री योगेश कुमार मिश्रा [जिनका डीआईएन: 07654014 है], निदेशक (कार्य), इरकॉन को अध्यक्ष के रूप में; और सुश्री रितु अरोड़ा, [जिनका डीआईएन: 00002455 है], कंपनी सचिव, को निदेशक (महिला निदेशक) के रूप में नामित किया है। इसके अतिरिक्त, श्री मसूद अहमद, [जिनका डीआईएन: 09008553 है], मुख्य महाप्रबंधक (सिविल/राजमार्ग), इरकॉन को श्री देवेंद्र कुमार शर्मा के स्थान पर 02 अगस्त, 2021 से निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री योगेश कुमार मिश्रा, सुश्री रितु अरोड़ा और श्री मसूद अहमद को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी 6वीं एजीएम में इन्हें निदेशकों के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसे आगामी एजीएम के नोटिस में शामिल किया गया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मसूद अहमद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
3.	सुश्री इति माटा	कंपनी सचिव (24.09.2020 से प्रभावी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सुश्री साक्षी मेहता ने कंपनी सचिव के पद से 21 अगस्त, 2020 से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए वे अब कंपनी में प्रमुख प्रबंधन कामिर्क नहीं हैं। सुश्री इति माटा को 24 सितंबर 2020 से होल्डिंग कंपनी द्वारा कंपनी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है और केएमपी के रूप में घोषित किया गया है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, होल्डिंग कंपनी ने दिनांक 01 जुलाई, 2021 से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर श्री विनय कुमार आहूजा को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है और उन्हें कंपनी के केएमपी के रूप में घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री मसूद अहमद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को इरकॉनएसजीटीएल में निदेशक के रूप में उनके नामांकन के कारण दिनांक 02 अगस्त, 2021 से कंपनी के सीईओ और केएमपी नहीं हैं और उनके स्थान पर श्री अतुल कुमार को होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है और बोर्ड द्वारा सीईओ और केएमपी के रूप में दिनांक 03 अगस्त 2021 से नियुक्त किया गया है।

11. निदेशक मंडल की बैठकें और निदेशकों की उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सात (7) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई अर्थात 18 मई, 2020; 24 जुलाई, 2020; 19 अगस्त, 2020; 24 सितंबर, 2020; 09 नवंबर, 2020, 26 नवंबर, 2020 और 09 फरवरी, 2021. बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का समय अंतराल नहीं होता है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2020 को; 23 जून, 2020; और 30 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना के संदर्भ में, दिनांक 26 नवंबर, 2020 और 09 फरवरी, 2021 को हुई बैठकों, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से आयोजित की गईं, को छोड़कर, बोर्ड की सभी बैठकें भौतिक मोड के माध्यम से आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशक की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	**बोर्ड बैठक/एजीएम/ ईजीएम की तारीख**	**निदेशकों की उपस्थिति**				
		श्री श्याम लाल गुप्ता	श्री अशोक कुमार गोयल	श्री राजेंद्र सिंह यादव (31 10.2020 तक)	श्री सुरजीत दत्ता	श्री देवेंद्र कुमार शर्मा
1	18.05.2020	√	√	√	√	√
2	24.06.2020	√	√	√	√	√
3	19.08.2020	√	√	√	√	√
4	14.09.2020	√	√	√	√	अनुपस्थिति
5	09.11.2020	√	√	लागू नहीं	√	√
6	26.11.2020	√	√	लागू नहीं	√	अनुपस्थिति
7	09.02.2021	√	√	लागू नहीं	अनुपस्थिति	अनुपस्थिति

12. स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल की समितियां और इनसे संबंधित छूट:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2017 और 13 जुलाई, 2017 के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और 'लेखापरीक्षा समिति' और 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के गठन की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

साथ ही, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सीपीएसई के रूप में

गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को सीपीएसई संबंधी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है।

तदनुसार, इरकॉनएसजीटीएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा का प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 और 178 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है, जो लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में है।

13. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

इरकॉनएसजीटीएल एक सरकारी कंपनी है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आपकी कंपनी के सभी निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है, जो मौजूदा प्रणाली और प्रक्रिया के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं।

14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

प्रत्येक कंपनी जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रूपए या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रूपए या उससे अधिक का कारोबार किया है उसे अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% का खर्च करने की आवश्यकता है। ।

चूंकि कंपनी उपरोक्त थ्रेशहोल्ड सीमा को पूरा नहीं करती है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं हैं।

15. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड को कंपनी के व्यवसाय के लिए किसी बड़े खतरे/जोखिम की आशंका नहीं है।

16. सतर्कता तंत्र:

सतर्कता तंत्र की स्थापना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं थे। हालांकि, एक सुशासन उपाय के रूप

में, निदेशक मंडल ने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट करने और तंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतर्कता तंत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस तंत्र के तहत, होल्डिंग कंपनी से नामित / प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) की 'विसिल ब्लोअर नीति' के अनुसार किया जाएगा और कंपनी में नियुक्त अन्य कार्मिकों की शिकायतों का निवारण श्री मसूद अहमद निदेशक, इरकॉनएसजीटीएल द्वारा किया जाएगा, जिनका ईमेल आईडी masood@ircon.org और फोन नंबर +91 011 26530467 है।

17. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

कंपनी के संचालन के आकार को ध्यान में रखते हुए कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। कंपनी वित्तीय विवरणों में खाता बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है।

कंपनी ने सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की प्रणाली और पद्धतियों को कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति से मेल खाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिजाइन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षक परिचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अर्धवार्षिक लेखा परीक्षा और उसकी समीक्षा करते हैं। प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को चर्चा और आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

18. कर्मचारियों का विवरण:

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, कंपनी में 12 कर्मचारी हैं, जिनमें 6 कर्मचारी नियमित आधार पर (होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त) और 6 अनुबंध के आधार पर शामिल हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है। इरकॉनएसजीटीएल के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम 5(2)

(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर जानकारी के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा:

समीक्षाधीन वर्ष के आरंभ में या वर्ष के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत लंबित या प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, आपकी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा तैयार की गई 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' (पीओएसएच नीति) को अपनाया है। कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इरकॉन के निकटतम परियोजना कार्यालय में पीओएसएच नीति के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठित किया गा है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत इरकॉनएसजीटीएल के मामलों से निपटने के लिए आईसीसी होगी।

20. समझौता ज्ञापन:

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के संदर्भ में आपकी कंपनी को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से छूट दी है।

21. एमएसएमई अनुपालन:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निदेश जारी किए हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वयं को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, कंपनी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर दिनांक 16 दिसंबर, 2019 से शामिल हो गई है ताकि उनकी प्राप्य राशि में छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की प्राप्ति द्वारा एमएसई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुलभ बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एमएसएमई से वार्षिक खरीद लक्ष्यों का अनुपालन किया गया है।

22. निदेशक के उत्तपरदायित्व का विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

(क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तमविक चित्र प्रस्तुत हो सके;

(ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "निरंतर" आधार पर तैयार किए हैं; और

(ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

23. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स पी.आर कुमार एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 003186एन) को नियुक्त किया।

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों पर 'इंफेसिस ऑन मेटर' के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए रिपोर्ट दी है। सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है -

31.02.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का अवलोकन	**प्रबंधन का उत्तर**
कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के सकल ब्लॉक में 0.83 करोड़ रूपए की कमी की है और इतनी ही राशि को मूर्त संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है। तदनुसार, संचित मूल्यह्रास 0.08 करोड़ रुपये कम हो गया है। लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति का सही वर्गीकरण किया गया है। मूर्त संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीतियों के तहत प्रदान किए गए अनुमानों के अनुसार उनके जीवनकाल के आधार पर की गई है।	उल्लिखित अवलोकन तथ्यात्मक रूप से सही है। ऐसी मूर्त परिसंपत्तियां, जिन्हें पहले के वर्षों में पहचाना नहीं जा सकता था, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें पहचान कर मूर्त परिसंपत्तियों के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है, और यथा उल्लखित समायोजन किया गया है ।
टोलवे प्लाजा के संचालन के लिए कंपनी के पास स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम "कॉम्विजन टोलवे मैनेजमेंट सिस्टम" है और हमने अवलोकन किया है कि कंपनी के पास अधिक सुदृढ नियंत्रण होना चाहिए ताकि कंपनी ओवरवेट प्रभारों के संबंध में राजस्व की हानि से बच सके।	हालांकि, टोल रोड की स्थापना के बाद से टोल ट्रैफिक की निगरानी के लिए पूरी तरह से अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर प्रबंधन प्रणाली लागू है, ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और प्रबंधन इस तरह की कमी को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर की फिर से समीक्षा करेगा ताकि कंपनी के समग्र आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में सुधार किया जा सके।

लागत लेखापरीक्षक:

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए रखा है।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148 के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

आतंरिक लेखाकार:

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मैसर्स वी.एम. अरोड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। मैसर्स वी.एम. अरोड़ा एंड कंपनी ने वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की थी और कंपनी को अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 और कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स वशिष्ट एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (सीपी संख्या 21476), को सचिवीय के रूप में नियुक्त किया है।

मेसर्स वशिष्ट एंड एसोसिएट्स ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और इससे संबंधित टिप्पणियों और प्रबंधन के उत्तर इस प्रकार हैं:

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के अवलोकन	**प्रबंधन का उत्तर**
कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम-3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-149(1) के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	इरकॉनएसजीटीएल के संगम अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार, सभी निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जाती है। चूंकि, होल्डिंग कंपनी द्वारा नामित किए जाने तक निदेशकों की नियुक्ति में इरकॉनएसजीटीएल की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए होल्डिंग कंपनी से इरकॉनएसजीटीएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जा चुका था। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, एक महिला निदेशक को

	होल्डिंग कंपनी द्वारा नामित किया गया है और इरकॉनएसजीटीएल के बोर्ड में दिनांक 13.05.2021 से उनकी नियुक्त की गई है।

24. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक समीक्षा:

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) की टिप्पणियाँ रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त नहीं हुई हैं।

25. रिपोर्ट के अनुबंध :

निम्नलिखित रिपोर्टें संलग्न की गई हैं और ये इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं:

क. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन: मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है, जिसे इस रिपोर्ट के **अनुबंध-क** के रूप में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट: एमआर-3 में मैसर्स वशिष्ट एंड एसोसिएट्स द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ '**अनुबंध-ख**' के रूप में संलग्न है।

ग. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-92(3), धारा-134(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12 की आवश्यकता के अनुसार, वार्षिक रिटर्न का उद्धरण, फॉर्म संख्या एमजीटी-9, इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध-ग' के रूप में संलग्न है।

घ. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ और आर्म लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में अनुमोदित हैं। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ '**अनुबंध-घ**' के रूप में संलग्न है।

26. अन्य प्रकटन:

(i) आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

(ii) आपकी कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इस तरह, तुलन पत्र की तारीख को मूलधन या सार्वजनिक जमा पर ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

(iii) आपकी कंपनी की कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(v) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपकी कंपनी को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) नियामकों/अदालतों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के कोई उदाहरण नहीं थे।

(vii) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

(viii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।

(ix) सभी निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर अपेक्षित कंपनी या कंपनियों या निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों, या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी हित/रूचि की प्रकृति का प्रकटन किया था।

आभारोक्ति

आपके निदेशक होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक इस अवसर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों और शेयरधारकों से निरंतर समर्थन और योगदान की सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
[डीआईएन: 07654014]

दिनांक: 10.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध "-क"

सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणन

निदेशक मंडल
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

विषय : दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
(श्री संजीव कुमार गुप्ता)	**(श्री मसूद अहमद)**
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)**

दिनांक: 21.06.2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ख

वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स

फार्म सं. एमआर-3

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सीआईएन: U45400DL2015GOI280017

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017, भारत

मैं, शोभित वरिष्ठ, प्रोप्राइटर, वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स, ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, मैने एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिग के मद्देनजर हैः

मैने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम; **)उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(च.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(छ(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ज(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(झ(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1998;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

घ. समीक्षाधीन अवधि के लिए श्रम कानूनों जैसे भविष्य निधि, ईएसआई/ईपीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि सहित अन्य लागू कानून।

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश; (हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सार्वजनिक उद्यम विभाग(ओपीई) द्वारा अपने दिनांक 11 जुलाई, 2019 और 8 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अन्य अनुपालन से छूट प्राप्त है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, केवल नीचे उल्लिखित स्तर तक;

कंपनी {निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता} नियम, 2014 के नियम-3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1} के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

मैं आगे उल्लेख करता हूं कि:

महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-149 के तहत उपरोक्त अनुपालन के अधीन, कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। हालांकि, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार होल्डिंग कंपनी (''इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड') द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों काफी पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा कहा गया था।

असहमति वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई उद्धरण नहीं था।

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उस पर हमारे उत्तरों के अनुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआईएन: **-** A045412C000426694

पीर समीक्षा संख्या: 844/2020

सदस्यता सं.: 45412

सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 07.06.2021

स्थान : नई दिल्ली

नोट: इस रिपोर्ट को समतिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सीआईएन: U45400DL2015GOI280017

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017.

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआईएन: - A045412C000426694

पीर समीक्षा संख्या: 844/2020

सदस्यता सं.: 45412

सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 07.06.2021

स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – ग

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम**,** 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम**,** 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में**]**

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	**यू45400डीएल2015जीओआई280017**
2.	पंजीकरण तिथि	**12 मई, 2015**
3.	कंपनी का नाम	**इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड**
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	**केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी धारक कंपनी**
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	**सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017** **दूरभाष : 011-26545267** **ई-मेल : cs.irconsgtl@gmail.com**
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	**नहीं**
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	**शून्य**

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना: निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई 008171	धारक कंपनी	100% *	2(46)

*** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 07 नामितियों के पास हैं ।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01.04.2020 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31.03.2021 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निकाय	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल क (1)	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**-**
(2) विदेशी									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपकुल क(2)									
कुल क = क1 +क2 **ख. जन शेयरधारिता** **1. संस्थान**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**-**
क) म्युचवल फंड/यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**-**

नोट:

1. इरकॉनएसजीटीएल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
2. इरकॉन के पास 10/- रूपए के 14,99,99,200 शेयर और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से 7 नामित शेयरधारकों के पास 10/- रूपए के 800 शेयर, हैं, अर्थात 1 शेयरधारक के पास 200 शेयर हैं और बाकी 6 शेयरधारकों के पास 100 शेयर हैं।

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या**			**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या***			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	**150000000**	**100%**	**-**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	-
		150000000	**100%**	**-**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	-

* 31 मार्च 2021 को इरकॉन और उसके नामितों द्वारा शेयरधारिता की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
* 09.11.2020 को इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक, श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा धारित 100 शेयर इरकॉन को हस्तांतरित किए गए।

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च, 2021 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में (01.04.2020)	150000000	100%	150000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में (31.03.2021)	150000000	100%	150000000	100%

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (निगमन) की तिथि)]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में (01.04.2020)	लागू नहीं			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में (31.03.2021)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2021 को वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				

वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**
वर्ष के अंत में	

नोट:

1. दिनांक 31 मार्च 2021 को "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल और श्री सुरजीत दत्ता के पास प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर हैं और श्री श्याम लाल गुप्ता कंपनी के अध्यक्ष के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर हैं ।"

(vi) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	5641500000	-	-	5641500000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	5641500000			
कुल रक्षित ऋण (i+ii+iii)	5641500000			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन				
* आवर्धन	381500000			381500000
निवल परिवर्तन (रक्षित ऋण में)	381500000			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) रक्षित ऋण की मूल राशि	52600000	-	-	52600000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल रक्षित ऋण (i+ii+iii)	52600000			

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**	**कुल राशि**
1.	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17)1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	**लागू नहीं**
2.	स्टॉक ऑप्शन	
3.	स्वीट क्विटी	
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	
5.	अन्य, कृपया बताएं	
	कुल (क) *	
	अधिनियम के अनुसार सीमा	

* आईएसजीटीएल पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रह हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
		लागू नहीं	
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**				
		सीईओ श्री मसूद अहमद नजर (2020-21 के दौरान)	**सीएफओ श्री संजीव कुमार गुप्ता (2020-21 के दौरान)**	**सीएस सुश्री साक्षी मेहता (21.08.2020 तक)**	**सीएस सुश्री इटी माटा (24.09.2020 तक)**	**कुल**
1	सकल वेतन	25,34,163	15,69,535	2,22,532	8,11,770	51,38,000

	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17)1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	1,11,254	47,632	-	-	1,58,886
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-
5.	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	4,65,000	2,00,000	-	74,083	7,39,083
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	7,92,547	5,14,504	8,419#	2,24,367	15,39,837
	कुल	**39,02,964**	**23,31,671**	**2,30,951**	**11,10,220**	**75,75,806**

<u>नोट</u>: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त है।

#पीएफ अंशदान

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना					

दंड	**शून्य**
कंपाउंडिंग	
ख. निदेशक	
जुर्माना	**शून्य**
दंड	
कंपाउंडिंग	
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी	
जुर्माना	**शून्य**
दंड	
कंपाउंडिंग	

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

(योगेश कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10.08.2021

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामितियों की शेयर सूची
(दिनांक 31 मार्च 2021 को)

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या (रु. 10/- प्रत्येक)
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	14,99,99,200
2	श्री श्याम लाल गुप्ता*	200
3	श्री अशोक कुमार गोयल *	100
4	श्री योगेश कुमार मिश्रा *	100
5	श्री सुरजीत दत्ता *	100
6	श्री पराग वर्मा *	100
7	श्री सुभाष चंद *	100
8	श्री बी. मुगुनथन *	100
	कुल	**15,00,00,000**

* 200 शेयरों एक नामिति शेयरधारक द्वारा धारित हैं और 100 शेयर प्रत्येक छह नामिति शेयरधारकों द्वारा धारित हैं,जो इरकॉन इंअरनेशनल लिमिटेड के अधिकारी हैं।

अनुबंध-घ

फार्म सं. एओरसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: शून्य

2. आर्म लैंथ आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: निम्नानुसार

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति**	**संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो**	**इरकॉन एसजीटीएल द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो (करोड़ रू. में)**
इरकॉन इंटरनेशन लिमिटेड (इरकॉन), धारक कंपनी	1. **ईपीसी करार** (इरकॉन को ईपीई ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने हेतु)	**दिनांक:** ईपीसी समझौता 20.01.2021 को निष्पादित। **अवधि:** दिनांक 01.01.2021 के अवार्ड पत्र से 12 महीने या साइट को सुपुर्द किया जाना, जो भी बाद में हो।	मध्य प्रदेश राज्य परियोजना के चरण -2 के कार्य के पूर्ण कार्यक्षेत्र का 236.000 किमी से 332.100 तक गुना तक शिवपुरी को चार लेन करना (पैकेज 1)	लागू नहीं	शून्य

	2.	पट्टा करार (इरकॉन के पंजीकृत कार्यालय परिसर को लीज पर लेने के लिए)	दिनांक: 27.06.2018 को निष्पादित पट्टा समझौता अवधि: 01.07.2018 से 3 वर्ष	किराया: 65 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए प्रति माह 19,305/- रूपए जमा जीएसटी।	लागू नहीं	शून्य

नोट: "संबंधित पक्ष प्रकटनों का ब्यौरा" ब्यौरा वित्तीय विवरणों में लेखा संबंधी नोटों में प्रकट किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: **10.08.2021**
स्थान : **नई दिल्ली**

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
और
वित्तीय विवरण

पी.आर.कुमार एंड कंपनी

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ("मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी") के वित्तीय विवरणों सहित दिनांक 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण, अन्य वृहत आय का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2021 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि का समाप्त वर्ष के लिए अन्य वृहत आय, इसका रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित इसकी हानियों का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत हमारी दिनांक 22 जून, 2021 की पूर्व रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों

को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3 और 4 के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करते हैं:

कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के सकल ब्लॉक में 0.83 करोड़ रुपये की कमी की है और उतनी ही राशि मूर्त संपत्ति में अंतरित की है। तदनुसार, संचित मूल्यह्रास 0.08 करोड़ रुपये कम हो गया है। लेखापरीक्षा के तहत, वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति का सही वर्गीकरण किया गया है। मूर्त संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी की लेखा नीतियों के तहत प्रदान किए गए अनुमानों के अनुसार उनके जीवनकाल के आधार पर की गई है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, यदि लागू हो, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं ।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय

सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मुद्दे

देश में फैली कोविड-19 महामारी के कारण ऑडिट के दौरान, हम टोल प्लाजा साइट पर नहीं जा सके और हमने दिल्ली में मुख्यालय में ही, हमें उपलब्ध कराए गए सीमित रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर अपनी राय बनाई है।

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37(ग) पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोरोनावायरस (कोविड -19) महामारी की स्थिति के प्रकोप के वित्तीय प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के आकलन का वर्णन करता है, और आगामी अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से विकसित होते हैं।

इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-।** के रूप में दे रहे हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निदेशों पर **अनुबंध-।।** में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार था।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में **"अनुबंध-।।।"** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की उप-धारा (16) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो। वित्तीय विवरणों के नोट-31 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई भी सामग्री हानिकारक नहीं थी।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

कृते पी के कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-
(दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सदस्यता सं. 501615

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: 26 जुलाई 2021

यूडीआईन : 2150161SAAAABR5281

अनुबंध-।

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध</u>

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ (1) का संदर्भ लें)

(i) (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) कंपनी द्वारा लेखापरीक्षित वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए इस आदेश के पैराग्राफ 3 का पैरा (i) का खंड (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) कंपनी के पास कोई इन्वेंजरी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापीक्षा रिपोर्ट) आदेशक, 2016 के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है, इसके परिणामस्वरूप इस आदेश के पैरा 3 के उपखंड (iii)(क), (ख) और (ग) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(iv) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने दौरान कंपनी अधिनिय, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत किसी ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति में संव्यवहार नहीं किया है, इसके परिणामस्वरूप इस आदेश के पैरा 3 का खंड लागू नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश; धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं हैं।

(vi) कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के प्रावधान और लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी पर लागू होते हैं, हालांकि, हमें प्रदान किए गए रिकार्डों के अभाव में, हम कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(vii) (क) कंपनी आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू होने वाले अन्य भौतिक सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, अधिकांश कर्मचारी स्टैंडबाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, इसलिए, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, मूल कंपनी द्वारा काटा और जमा किया जा रहा है। हालांकि, जो कर्मचारी कंपनी के पेरोल पर हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, कंपनी द्वारा नियमित आधार पर काटा और जमा किया जा रहा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के अंत में कोई विवादित वैधानिक बकाया नहीं है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से कोई ऋण लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (viii) के तहत प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया गया है, इसलिए खंड (ix) के तहत प्रावधान आदेश का पैरा 3 कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(x) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी, इसलिए आदेश का खंड 3 (xi) लागू नहीं होता है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 और 188 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्ष अर्थात मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल

लिमिटेड (मूल कंपनी) के साथ लेनदेन किया है और इसका प्रकटन वित्तीय विवरणों के तहत किया गया है।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई वरियाता आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादन योग्य डिबेंचर नहीं किया है, तदनुसार, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खंड 3 (xiv) आदेश लागू नहीं है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, तदनुसार, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड 3 (xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) उपयुक्त नहीं है।

कृते पी के कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-
(दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सदस्यता सं. 501615

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: 26 जुलाई 2021

यूडीआईन : 2150161SAAAABR5281

अनुबंध-।।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ (2) का संदर्भ लें)

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी के पास टोल प्लाजा पर संचालन के प्रबंधन के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, जिसे "कॉम्विजन टोल मैनेजमेंट सिस्टम" नाम दिया गया है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स "टैली सॉल्यूशन" के तहत बनाए रखा जा रहा है और दोनों सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं।
2.	क्या ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के लेनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता की कीई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को प्रकट करें। क्या ऐसे मामलों का सही से लेखांकन किया जाता है (यदि देनदार सरकारी कंपनी है तो यह निदेश देनदार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	ऋण/ऋण/ब्याज को माफ करने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई/प्राप्य नहीं हैं।

कृते पी के कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-
(दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सदस्यता सं. 501615

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: 26 जुलाई 2021

यूडीआईन : 2150161SAAAABR5281

अनुबंध-।।।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम-तिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(एफ) का संदर्भ लें)

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड-143 के उपखंड-3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं : (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं; (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं; (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित भौतिक खामियों की पहचान की गई है:

- टोलवे प्लाजा के संचालन के लिए कंपनी के पास स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है "कॉम्विजन टॉलवे मैनेजमेंट सिस्टम" और हमने अवलोकन किया है कि कंपनी के पास अधिक मजबूत नियंत्रण होना चाहिए ताकि कंपनी को ओवरवेट प्रभारों के संबंध में राजस्व की हानि न हो;

एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे ये संभावना है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में भौतिक गलती को समय आधार पर पता या रोका नहीं जा सकता है।

हमारी राय में, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया था कि नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी/कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के दिनांक 31 मार्च, 2021 के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

कृते पी के कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन
ह/-
(दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सदस्यता सं. 501615

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: 26 जुलाई 2021

यूडीआईन : 2150161SAAAABR5281

<u>वित्तीय विवरण</u>

(वित्तीय वर्ष 2020-2021

इरकॉन शिवपुरी मूना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2021 को तुलन पत्र

(Rs. Rs. crores) (रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसिंपत्तियां**					
	(क) परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3	0.57		0.06	
	(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	4	608.65		650.88	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	(i) अन्य	5	0.14		0.15	
	(ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	-		-	
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां			609.36		651.09
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	7				
	(i) व्यापार प्राप्य	7.1	0.46		0.14	
	(ii) स्टॉक एवं स्टॉक समतुल्य	7.2	6.42		3.32	
	(iii) ऋण	7.3	-		-	
	(iv) अन्य	7.4	0.01		0.42	
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	0.04		0.75	
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	-		0.34	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			6.93		4.97
	कुल परिसंपत्तियां			616.29		656.06
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	150.00		150.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(76.25)		(62.19)	
	कुल इक्विटी			73.75		87.81
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) कर्ज	12.1	490.07		540.87	
	(ii) व्यापार प्राप्य		-		-	
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय					
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कुल बकाया देय					
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		-		-	
	(ख) प्रावधान	13	10.47		-	
	(ग) आस्थगित कर देयता निवल	6	-		-	
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	14	-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			500.54		540.87
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	14				
	(i) कर्ज		-		-	
	(i) व्यापार प्राप्य	14.1				
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय		-		-	
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कुल बकाया देय		0.46		1.08	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14.2	41.06		25.63	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	0.48		0.67	
	(ग) प्रावधान	13	-		-	
	(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	19.1	-		-	
	कुल चालू देयताएं			42.00		27.38
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			616.29		656.06
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-37				

0.000 0.000

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी मूना टोलवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी	(योगेश कुमार मिश्रा	(सुरजीत दत्ता)
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	निदेशक
फर्म पंजीकरण सं:003186एन	डीआईएन: 07654014	डीआईएन: 06687023

(सीए दीपक श्रीवास्तव)	(मसूद अहमद नजर)	(संजीव कुमार गुप्ता)	(इटी माटा)
साझेदार	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव
सं.सं: 501615			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2021
यूडीआईन : 21501615AAAABQ3802

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(in Rs. crore) **(रुपए करोड में)**

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	16	110.78	94.44
II.	अन्य आय	17	0.38	0.44
III.	कुल आय (I + II)		111.16	94.88
IV.	व्यय:			
	परियोजना व्यय	18	40.11	29.58
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	1.72	1.60
	वित्तीय लागते	20	41.51	52.81
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	21	41.73	41.55
	अन्य व्यय	18	0.15	0.07
	कुल व्यय (IV)		125.22	125.61
V.	आपवादिम मदों तथा कर पूर्व हानि (III - IV)		(14.06)	(30.73)
VI.	आपवादिम मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		**(14.06)**	**(30.73)**
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		-	-
	-पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	0.03
	(2) आस्थगति कर (निवल)	6	-	0.07
	कुल कर व्यय		-	0.10
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु हानि (VII - VIII)		**(14.06)**	**(30.83)**
X	अन्य वृहत आय		-	-
XI	अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)		**(14.06)**	**(30.83)**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी			
	(निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रूपए में निरपेक्ष मूल्य)	29	(0.94)	(2.06)
	(2) विलयित (रूपए में निरपेक्ष मूल्य)	29	(0.94)	(2.06)
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

(योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687023

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(इटी माटा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2021
यूडीआईन : 21501615AAAABQ3802

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड प्रवाह विवरण

(in Rs. crores) **(रुपए करोड़ में)**

विवरण		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		(14.06)	(30.73)
समायोजन			
मूल्यह्रास, परिशोधन एंव हानि		41.73	41.55
वित्तीय लागत		41.51	52.81
ब्याज आय		(0.34)	(0.43)
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	68.84	63.20
समायोजन			
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में कमी / (वृद्धि)		(0.33)	0.55
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		0.76	(0.36)
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		(0.62)	(19.74)
अन्य देयताओ, वित्तीय देयताओं व प्रावधानो में (कमी) /(वृद्धि		13.07	(0.86)
	(2)	12.88	(20.41)
प्रचालनों से सृजित रोकड	(1+2)	81.72	42.79
प्रदत्त आयकर (निवल)		0.72	0.72
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड	(क)	82.44	43.51
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड			
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण		(0.02)	(0.01)
अमूर्त परिसंपत्तियों / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		-	-
निवेश परिसंपत्तियों की खरीद/ बिक्री		-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अमूर्त परिसंपत्तियों पर विनिमय लाभ/हानि		-	-
निवेश की बिक्री		-	-
म्युचुवल फंड में निवेश		-	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को ऋण		-	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों से ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
प्राप्त ब्याज		0.34	0.46
प्राप्त लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर में निवेश		-	-
बांडो में निवेश		-	-
बैंक जमा खातो में (निवेश)/परिपक्वता (तीन महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले)		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	(ख)	0.32	0.45
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
इरकॉन से ऋण (धारक कंपनी)		-	18.00
इरकॉन को ऋण का पुनर्भुगतान (धारक कंपनी		(38.15)	(15.44)
ऋण लागत		(41.51)	(52.81)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)	(79.66)	(50.25)
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	-	-
रोकड और रोकड़ समतुल्य में निवल कमी	(क+ख+ग+घ)	3.10	(6.29)
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	(ङ)	3.32	9.61
रोकड़ शेष			
बैंको में शेष			
चालू खातो में		0.02	0.01
फ्लैक्सी खातो में		3.30	6.10
अल्पकालीन निवेश			3.49
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)*	(च)	6.42	3.32
रोकड़ शेष			
बैंको में शेष			
चालू खातो में		0.07	0.02
फ्लैक्सी खातो में		6.35	3.30
अल्पकालीन निवेश			
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल वृद्धि(कमी)	(च - ङ)	3.10	(6.29)

(0.00)

नोट : 1. उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण को रोकड प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. प्रकाष्ठ में आंकडे रोकड के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।
3. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकडों को पुनसमूहित/पुन:निर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

(योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687023

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(इटी माटा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2021
यूडीआईएन : 21501615AAAABQ3802

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु) (रूपए करोड में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2019 को शेष	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेष	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 को शेष	150.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2019 को शेष	-	(31.36)	-	-	(31.36)
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 को शेष (पुन निर्धारित)	-	(31.36)	-	-	(31.36)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	-	(30.83)	-	-	(30.83)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	(30.83)	-	-	(30.83)
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संक्तिरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष	-	(62.19)	-	-	(62.19)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2020 को शेष	-	(62.19)	-	-	(62.19)
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को शेष (पुन निर्धारित)	-	(62.19)	-	-	(62.19)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	-	(14.06)	-	-	(14.06)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-		-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	(14.06)	-	-	(14.06)
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संक्तिरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	-	(76.25)	-	-	(76.25)

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

(योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687023

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(इटी माटा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2021

1. निगमित सूचना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-**03** के किमी 236.000 से किमी 332.100 **(**स्टेज-**1)** के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रति शेयर डेटा और अन्यथा जहां उल्लेख किया गया है, को छोड़कर इसे दो दशमलव तक पूर्णांकित करके प्रस्तुत किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक¬) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची-3 के भाग-2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है:-

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

i. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

ii. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो।
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य।

i. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

ii. कोई देयता चालू तब होती है जब:

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो।
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो।
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

iii. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

v. परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.3 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.4 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में शामिल है -

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है:

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।
- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।
- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

iii. मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	**प्रयोग उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर-आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3-6
कार्यालय उपकरण	5 -10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहन	8-10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

- मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

iv. स्वीकृति समाप्ति

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.6 निवेश परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।

- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

- निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

- कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य

का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

iii. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.6 अमूर्त परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियांे, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

iii. स्वीकृति समाप्ति

- अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

क) निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

ख) कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।

ग) रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 - सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

घ) धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा

उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।

ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।

च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।

छ) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को चार्ज करने में सक्षम है।

ज) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

झ) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

ट) अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

2.8 **नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

i) प्रावधान

(क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

(ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामि

ii) दुर्वह संविदाएं

(क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

(ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) आकस्मिक देयताएं

(क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वांे के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व

अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

(ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.10 राजस्व स्वीकृति

i. कंपनी इंड एएस--115 के अनुसार "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है।

ii. संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को संव्यवहार के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है अर्थात जीएसटी और इसे परिवर्ती राशि हेतु समायोजित किया जाता है।

iii. कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्राप्तियों को सृजित करती है, जिसमें वृद्धि और तरलता हानि शामिल हैं।

iv. लेन-देन की कीमत में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जो अनुबंध की निर्धारण के समय होता है।

v. कंपनी परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को चिह्नित करती है, जब यह संभावना है कि मान्यता प्राप्त राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी अनुमानित मूल्य या सबसे अधिक संभावना राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनशील राशि के रूप में राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है।

vi. इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

vii. निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती हैः

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

viii. समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व स्वीकृति] निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रतिशत समापन विधि का प्रयोग करके प्रगति के मापन द्वारा किया जाता है। निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत के लिए आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार प्रगति को मापा जाता है।

ix. निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां आउटपुट पद्धति लागू की जाती है, जो निष्पक्ष रूप से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति कंपनी के निष्पादन को दर्शाता है।

x. संविदा आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब संविदा विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य के लिए अनुमोदित किया जाता है।

xi. संविदाओं में संशोधन के लेखांकन में यह आकलन है चाहे मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं भिन्न हैं और चाहे मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है। जोड़ा गया सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकन किया जाता है जबकि जो भिन्न होते हैं उन्हें या तो एक अलग संविदा के रूप में देखा जाता है यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में लगाई जाती है।

xii. संविदा शेष

- संविदा परिसम्पतियां: किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।

- व्यापार प्राप्य: प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।

- संविदागत दायित्व: संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) टोल एकत्रण से राजस्व

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।

- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।

- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

i. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

ii. उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व-कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

iii. साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.12 मालसूचियां

i) मालसूचिया (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई

क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

iv) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.14 कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से

संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि ये कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस-116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ii) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ाहय स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाहय (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की

स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दाियित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में निकाय के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है और उसकी मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है ओर उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक

रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति श्ोयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ ओर इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्ररभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 विदेशी मुद्राएं

(i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

(ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर)

पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर-मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो:

क) उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

(iii) किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

(iv) किसी गैर-वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

(vi) सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैंः-

- स्तर 1 - समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य

- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(vii) ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

(viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

(ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

(x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.22 शेयरधारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) अनुवर्ती मापन

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः

क. परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैंः

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)

- निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है:

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

(क) एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

ध. इक्विटी उपकरण

- इंड एएस-109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण-वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

ड. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

- इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया हैः

क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

- सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

- वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः-

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा: ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार: ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

च. वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

(क) किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

(ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

- कम्पनी की वित्तीय देयतायों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ख) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक त©र पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय माॅडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय माॅडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय माॅडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

v) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.24 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

(क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है।

बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

(ख) यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन

(i) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा

(ii) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।

मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर-चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।

- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के

अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ii) आकस्मिताएं

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के

आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(iv) कर

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(v) गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(vi) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

(vii) पट्टे - आवर्धित ऋण दर के अनुमान

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण - पट्टेदार के रूप में कम्पनी

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो

उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

- अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

- अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण

- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान

- संभावित हानियों के लिए प्रावधान

- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

	संयंत्र और मशीनरी	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)						
31 मार्च 2019 को	-	0.04	0.02	0.03	-	0.09
संवर्धन	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	0.04	0.02	0.03	-	0.09
1 अप्रैल 2020 को	-	0.04	0.02	0.03	-	0.09
संवर्धन	-	0.003	0.017	-	-	0.02
निपटान/समायोजन	0.06	0.06	-	-	0.71	0.83
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	0.06	0.10	0.04	0.03	0.71	0.94
मूल्यह्रास और हानि						
31 मार्च 2019 को	-	0.02	-	-	-	0.02
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	-	0.010	0.001	0.003	-	0.01
हानि	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	0.03	0.001	0.003	-	0.03
1 अप्रैल 2020 को	-	0.03	0.001	0.003	-	0.03
संवर्धन	0.01	0.06	0.006	0.003	0.17	0.25
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	0.01	0.01	-	-	0.07	0.09
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	0.02	0.10	0.007	0.006	0.24	0.37
निवल बही मूल्य						
31 मार्च 2021 को	0.04	0.00	0.03	0.02	0.47	0.57
31 मार्च 2020 को	-	0.01	0.02	0.03	-	0.06

नोट :- क) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में 83,29,420/- रुपये की कमी की है और संबंधित संचित मूल्यह्रास के गलत वर्गीकरण के कारण 8,22,575/- रुपये घटा दिखाया गया है जिसे लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान सही किया गया है और परिणामस्वरूप मूर्त संपत्ति में 8329420/- रुपये की वृद्धिकी गई है और संचित मूल्यह्रास में संबंधित शीर्षों के तहत 8,22,575/- रुपये की वृद्धिकी गई है। मूर्त संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीतियों के तहत प्रदान किए गए अनुमान के अनुसार उनके जीवनकाल पर की गई है। वाहनों संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर में रु 6,00,000/- को अमूर्त संपत्ति से मूर्त संपत्ति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के शुद्धमूल्यह्रास को चालू वित्तीय वर्ष में मान्यता दी गई है।

ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित मूर्त संपत्तियों में से वाहन और संयंत्र और मशीनरी होल्डिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं।

फुट नोट

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त संपत्तियों पर मल्यह्रास		0.25	0.02
क्षतिपूर्ति हानि		-	-
कुल		0.25	0.02

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियां (टोल एकत्रण) (नोट 24 का संदर्भ लें)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रेल 2019 को आरंभिक शेष	726.78	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2020 को समापन शेष	726.78	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	0.83	-
31 मार्च 2021 को समापन शेष	725.95	-
परिशोधन एवं हानि		
31 मार्च 2019 को समापन शेष	34.37	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	41.53	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2020 को समापन शेष	75.90	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	41.48	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	0.08	-
31 मार्च 2021 को समापन शेष	117.30	-
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2021 को	608.65	-
31 मार्च 2020 को	650.88	-

5 गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(in Rs. Crore)

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क) वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.14	0.15
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.14**	**0.15**
ख) संदिग्ध समझे गए		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.14**	**0.15**

6 आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

इंड एएस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आयकर:		
	चालू आयकर प्रभार	-	-
	समायोजन: पूर्ववर्ती वर्ष के चालू आयकर के संबंध में	-	0.03
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	-	0.07
	लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	**0.10**
2	**अन्य बृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई के स्वीकृत आयकर संबंधी मदें		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधोजन:

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	(14.07)	(30.73)
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	25.168%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	0.03
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-	0.07
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	-	**0.10**
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (देयताएं) और परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(75.73)	(60.92)	14.81	60.92
2	प्रावधान	2.63	-	(2.64)	-
3	अन्य^^	73.10	60.92	(12.17)	(60.85)
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**(0.00)**	-	**(0.00)**	**0.07**

^^ व्यावसायिक हानि के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को गैर परम्परागत रूप में पीपीई और अमूर्त संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयता तक सीमित कर दिया गया है। लेखा नीति 2.17 के अनुरूप 16.82 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	75.73	60.92
2	आस्थगित कर देयताएं	(75.73)	(60.92)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं) (निवल)	-	-

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ङ.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समाधोजन :

31 मार्च 2021 को

(रुपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2020 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2021 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(60.92)	14.81	-	(75.73)
2	प्रावधान	-	(2.64)	-	2.64
3	अन्य	60.92	(12.17)	-	73.09
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	-	(0.00)	-	-

31 मार्च 2020 को

(रुपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	60.92	-	(60.92)
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य	0.07	(60.85)	-	60.92
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	0.07	0.07	-	-

7.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वसूली योग्य - रक्षित		
व्यापार प्राप्य * (संदर्भ नोट सं. 33-ग)	0.46	0.14
संदिग्ध समझे गए		
व्यापार प्राप्य	-	-
घटा- संदिग्ध कर्ज हेतु हानि प्रावधान	-	-
कुल	**0.46**	**0.14**

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट

7.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
उपलब्ध रोकड	-	-
*बैंकों में शेष**		
चालू खाता	0.07	0.02
फ्लैक्सी खाता	6.35	3.30
	6.42	**3.32**

** उपर्युक्त शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार वर्ष निर्धारित निधि है।*

7.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. अरक्षित वसूली योग्य		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
सकल योग	-	-

7.4 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. अरक्षित वसूली योग्य		
संचित ब्याज:		
-बैंकों में जमा/ फ्लैक्सी जमा खाता	0.01	0.01
अन्य वसूली योग्य	-	0.41
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां -साध्य	**0.01**	**0.42**
ख) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
सरकारी विभाग	-	-
अन्य	-	-
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-
बयाना जमा राशि	-	-
-ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	-	-
-ग्राहकों से आहरित राशि	-	-
अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्य) हेतु हानि प्रावधान	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	**0.01**	**0.42**

कंपनी, फर्मों के अधिकारियों को देय ऋण, जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई भी निदेशक सदस्य है जेवी और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य रूपए (शून्य रूपए)।

निदेशकों से देय राशि का विवरण (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल		

8 चालू परिसंपत्तियां -चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	0.04		0.75
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	0.04		0.75

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट

9 अन्य चालू परिसंपत्तियां (in Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को
वसूली योग्य : अरक्षित			
अग्रिम वसूली योग्य:			
-वस्तु एंव सेवा कर	-		-
पूर्व प्रदत्त व्यय	-		0.34
सकल योग	-		0.34

10 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	150.00	150.00
	150.00	150.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए -पूर्णत प्रदत्त	150.00	150.00
	150.00	150.00

कंपनी में शेयरधारित का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00
	-		-	
कुल	**150,000,000**	**100.00**	**150,000,000**	**100.00**

वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	150,000,000	150.00	150,000,000	150.00
जमा: अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बायबैक शेयर - -	-	-	-	-
वर्ष के अंत मे बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	150,000,000	150.00	150,000,000	150.00

11 अन्य इक्विटी

(In Rs. Crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अन्य आरक्षित निधियां		
प्रतिधारण आमदनी	(76.25)	(62.19)
कुल	**(76.25)**	**(62.19)**
निम्नानुसार संचलन		
प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	(62.19)	(31.36)
जमा: सरप्लस से लाभ व हानि विवरण में अंतरण	(14.06)	(30.83)
समापन शेष	**(76.25)**	**(62.19)**
अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन:		
प्रतिधारण आमदनी		
प्रतिधारण आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती हैं।		

12 गैर चालू देयताएं- वित्तीय देयताएं

12.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं- ऋण

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण (नोट सं.14.2 का संदर्भ लें)	490.07	540.87
	-	-
कुल	**490.07**	**540.87**

नोट:

(a) **निबंधन और शर्तें**

i) समझौते की शर्तों के अनुसार कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए इसकी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड़ रुपये के सावधि ऋण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 579.59 करोड़ रुपये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2021 तक वितरित किए गए हैं और रु. 53.59 करोड़ 31 मार्च 2021 तक चुकाए जा चुके हैं। 526.00 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से, 490.07 करोड़ रुपये को ऊपर वर्गीकृत किया गया है और 35.93 रुपये लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता (वर्तमान देयताएं - अन्य वित्तीय देनदारियां, नोट 14.2) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

ii) ब्याज की शर्तें

लागू ब्याज दर दिनांक 01.04.2020 से 1 वर्ष के लिएएमसीएलआर जमा 0.5 प्रतिशत के एसबीआई का बेस रेट है।

iii) भुनर्गुगतान की शर्तें : ऋण का पुनर्भुगतान सीओडी से12 महीने पूरा होन से आरंभ होते हुए 12.5 वर्षों में किया जाएगा।

iv) ऋण के लिए सुरक्षा की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता गिरवी/प्रभार, और दोनों वर्तमान और भविष्य की चल संपत्तियों का मोर्टगेज (जिसमें सभी चालू/गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)

(ii) सभी शुल्कों पर प्रथम प्राथमिकता प्रभार। उधारकर्ता के राजस्व और प्राप्तियां परियोजना की संपत्ति या अन्यथा बनाते हैं।

(iii) सभी परियोजना करारों के समनुदेशन पर प्रथम प्राथमिकता प्रभार। सभी गारंटी, प्रदर्शन गारंटी या बांड, ऋण पत्र जो किसी भी पार्टी द्वारा उधारकर्ता और निकासी के पक्ष में किसी भी परियोजना समझौते के लिए प्रदान किया जा सकता है और सभी अधिकार शीर्षक, अनुमोदन, परमिट, मंजूरी और ब्याज और उधारकर्ता अधिकार, शीर्षक, ब्याज, परियोजना समझौते और निकासी में या उसके तहत लाभ और दावा।

(iv) बीमा अनुबंधों, बीमा पॉलिसियों और बीमा राशियों में या उसके तहत सभी उधारकर्ताओं के अधिकार, मालिकाना हक, लाभ और उधारकर्ता के दावे पर प्रथम प्राथमिकता प्रभार।

(v) उधारकर्ता की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों की पहली प्राथमिकता/प्रभार/असाइनमेंट, जिसमें सद्भावनाभी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। वर्तमान और भविष्य दोनों के उपक्रम और अनचाही पूंजी

(vi) उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर बिना किसी सीमा के, एस्क्रो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) और समय-समय पर जमा किए गए सभी धन और सभी अनुमत निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में जमा की गई सभी राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम प्राथमिकता शुल्क एस्क्रो खाते में, बशर्ते कि उपरोक्त (i) से (v) परियोजना की संपत्ति को बाहर कर देगा। "

13 **प्रावधान**

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
टोल प्रचालन से आय का प्रावधान	13.1	10.47	-
कुल		10.47	-
गैर-चालू		10.47	-

एएस37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत यथापेक्षित संचलन प्रावधान का प्रकटन निम्नानुसार है:

13.1 **अन्य प्रावधान**

(रुपए करोड में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	अन्य व्यय	कुल
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-
गैर-चालू	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-	-
गैर-चालू	-	-	-	-	-
प्रमुख अनुरक्षण कार्यों हेतु प्रावधान	-	-	10.47	-	10.47
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	10.47	-	10.47
गैर-चालू	-	-	10.47	-	10.47

^^टोल रोड के प्रचालन हेतु अनुरक्षण नियमावली की तर्ज पर प्रमुख अनुरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट

14 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

14.1 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(in Rs. Crore) **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम से इतर		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	0.29	-
(ख) संबंधित पक्ष	0.17	1.08
कुल	**0.46**	**1.08**

नोट

क) कंपनी अधिनियम, 2013/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षाओं का प्रकटन नोट 35 में किया गया है।

ख) संबंधित पक्षों की शर्तें व निबंधन और अन्य शेषों का प्रकटन नोट 23 में किया गया है।

14.2 चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

(in Rs. crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
दीर्घ कालीन ऋणों की चालू परिपक्वता (संदर्भ नोट सं. 12.1)	35.93	23.28
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और आहरित राशि	0.65	0.47
ग्राहकों को देय राशि	1.74	-
अन्य देय राशियां (कर्मचारियों को देय सहित)	2.74	1.88
कुल	**41.06**	**25.63**

15 अन्य चालू देयताएं

(in Rs. crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
सांविधिक देय	0.48	0.67
कुल	**0.48**	**0.67**

नोट:

क) सांविधिक देय राशि में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक बकाया के लिए देयता शामिल है।

16 प्रचालनों से राजस्व

(in Rs. crore) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
टोल प्रचालनों से राजस्व (संदर्भ नोट सं. 24 और 33)	110.43	94.17
-अन्य प्रचालनिक राजस्व	0.35	0.27
कुल	**110.78**	**94.44**

17 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय				
आयकर की प्रतिपूर्ति पर ब्याज		0.06		0.14
अन्य अग्रिम/ प्रतिभित जमा पर ब्याज		-		-
बैंक ब्याज सकल	0.28	-	0.29	-
	-	0.28	-	0.29
अन्य				
विविध आय		0.04		0.01
कुल		**0.38**		**0.44**

18 परिशोधना और अन्य व्यय

(रुपए करोड में)

विवरण	परिशोधना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय	-	(0.17)	-	-
एनएचएआई को रियायत शुल्क	20.72	20.80		
टोल एकत्रण और अनुरक्षण व्यय	7.20	7.17	-	-
निरीक्षण, प्रौद्योगिकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	0.33	0.75	-	-
ब्याज आय	-	0.002	-	-
मशीनों का किरायाप्रभार	-	-	-	-
विनिमय उच्चावचन घाटा			-	-
घटा:- विनिमय उच्चावचन लाभ			-	-
निवलविनिमय उच्चावचन घाटा	-	-	-	-
किराया - गैर आवासीय	0.03	0.04	-	-
दरें एवं कर	-	-	-	-
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	-	-	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण:				
भवन	-	-	-	-
कार्यालय एवं अन्य	0.03	0.01	-	-
ऊर्जा, बिजली एवं पानी प्रभार	0.71	0.70	-	-
बीमा	0.34	0.13	-	-
यात्रा एवं कन्वेयंस	-	0.02	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	0.01	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स	-	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	0.10	0.11	0.01	-
प्रतिभूति सेवाएं	-	-	-	-
व्यवसाय संवर्धन	-	-	-	-
बट्टाखाता:				
अशोध्य ऋण	-	-	-	-
अशोध्य अग्रिम	-	-	-	-
अशोध्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-
परिसंपत्तियों /निक्षारण की बिक्री पर घाटा	-	-	-	-
निवेश में प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन	-	-	-	-
निदेशक बैठक शुल्क	-	-	-	-
चंदा	-	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (नीचे नोट का संदर्भ लें)	-	-	0.02	0.02
विज्ञापन और प्रचार	-	-	0.05	0.02
बैंक प्रभार और अन्य वित्तीय प्रभार	-	-	0.07	0.03
प्रशिक्षण एवं भर्ती	-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-	-	-
सामाजिक विकास	-	-	-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 36 का संदर्भ लें)	-	-	-	-
विविध व्यय	0.18	0.01	-	-
निगमित शिरोपरि व्यय	-	-	-	-
प्रावधान (जमा - बट्टाखाता) (नोट 13 का संदर्भ लें) प्रमुख अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हेत	10.47	-	-	-
कुल	40.11	29.58	0.15	0.07

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.015	0.014
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.005	0.004
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.005	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	0.02	0.02

19 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ (संदर्भ नोट 27) (रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालन	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालन	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक और बोनस		1.32	0.12	1.44	1.23	0.12	1.35
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		0.18	-	0.18	0.16	-	0.16
सेवानिवृत्ति लाभ		0.10	-	0.10	0.09	-	0.09
कुल		**1.60**	**0.12**	**1.72**	**1.48**	**0.12**	**1.60**

20 वित्तीय लागत (रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		- 41.51	- 52.81
कुल		**41.51**	**52.81**

21 मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	0.25	0.02
अमूर्त परिसंपत्तियां	41.48	41.53
कुल	**41.73**	**41.55**

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट: - 22

क. उचित मूल्य मापन

(i) **वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर-1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क**)** दिनांक 31 मार्च, 20**21** तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में**)**

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर **1**	स्तर **2**	स्तर **3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.15**	-	-	-
कुल	**0.15**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	526.00			
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	5.13			
कुल	**531.13**			

ख) दिनांक 31 मार्च 2020 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल) म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश	-			
ऋण	**0.00**	-	-	
अन्य वित्तीय परिसिंपत्यिां	**0.57**	- -	- -	
कुल	**0.57**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
ऋण	564.15	-	-	
अन्य वित्तीय देयताएं	2.35	-	-	
कुल	**566.50**			

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां और मान्यताएं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रयुक्त विधि के समान है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय वित्तीय में निर्धारित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित सामन्जस्य के पश्चात निर्धारित है है, कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है।

* वित्त वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर

जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन नहीं करती है और विदेशी विनिमय जोखिम शून्य या नगण्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। कंपनी में फ्लोटिंग ब्याज दर व्यवस्था है, 50 बेसिक बिंदुओं की दर से ब्याज संवेदी निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च 2021**		**31 मार्च 2020**	
रूपए करोड़ में	**करपूर्व**	**करपश्चात**	**करपूर्व**	**करपश्चात**
ब्याज दर - 50 बेसिक प्वाइंट से वृद्धि (50 बीपीएस)	2.63	1.97	2.82	2.11
ब्याज दर - 50 बेसिक प्वाइंट से कमी (50 बीपीएस)	(2.63)	(1.97)	(2.82)	(2.11)

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती

है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

निम्न तालिका निर्माण राजस्व, एससीए और टोल प्राप्तियों के तहत निर्माण के शीर्ष तीन राजस्व खंडों से उत्पन्न राजस्व के संबंध में विवरण प्रस्तुत करती है::

(रूपए करोड में)

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31/03/2021	**31/03/2020**
शीर्ष तीन राजस्व क्षेत्रों से राजस्व	110.78	94.44
	110.78	94.44

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड में)

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.14	0.15
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	6.42	3.32
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.00	0.00
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.01	0.42
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		

व्यापार प्राप्य	0.46	0.14
संविदागत परिसंपत्तियां	-	-

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2020: शून्य रुपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ख) तरलता जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखते हुए और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों

और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के डेट बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। मूल हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति में निवेश को आम तौर पर निवेश ग्रेड होने की आवश्यकता होती है

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	35.93	60.36	429.71
व्यापार प्राप्य	0.46	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	5.13	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	23.28	35.93	504.94
व्यापार प्राप्य	1.08	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2.35	-	-

ख) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए

संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक स्थितियों और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 तक 579.59 करोड़ रुपये (स्वीकृति रुपये 722.11 करोड़) का सावधि ऋण लिया है (31.3.2021 को 526.00 करोड़ रुपये बकाया के रूप में) अपनी होल्डिंग कंपनी से अपनी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए।

कर्ज इक्विटी अनुपात :- **(**रूपए करोड में**)**

विवरण	**31-मार्च-21**	**31-मार्च-20**
ऋण (नोट सं 12.1 व 14.1)	526.00	564.15
दीर्घकालीन ऋण	**526.00**	**564.15**
इक्विटी (नोट सं.10)	150.00	150.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.11)	(76.25)	(62.19)
कुल इक्विटी	**73.75**	**87.81**
ऋण इक्विटी अनुपान	**7.13**	**6.42**

23 वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा

(भारतीय रूपए में)

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूपए में)		बकाया राशि	
		31-03-2021 तक की अवधि के दौरान	31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	31-03-2021 को	31-03-2020 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000
	ऋण	(381,500,000)	(154,400,000)	5,260,000,000	5,641,500,000
	अन्य देय	(9,083,776)	(178,900,000)	1,735,193	10,818,969
	सेवाएं प्रदान करना				
	व्यय के रूप में जीएसटी को छोडकर किराया	231,660	231,660		
	व्यय के रूप में ऋण पर ब्याज	415,069,035	528,105,265		

नोट:- 23 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल
लिमिटेड

(Ii) निदेशक मंडल

नाम	**पदनाम ***
श्री योगेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष - 13.05.2021से
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष - 13.05.2021से
श्री ए.के. कुमार गोयल	निदेशक
श्री आर.एस. यादव	निदेशक - 31.10.2020 तक
श्री सुरजीत दत्ता	निदेशक
श्री डी.के. शर्मा	निदेशक

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित सदस्य

नाम	**पद**
श्री मसूद अहमद नाजर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री संजीव कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव, 29 मई 2017 से

कंपनी सचिव

नाम	**पद**
सुश्री इटी माटा	कंपनी सचिव, 24.09.2020 से
सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव, 21.08.2020 से

(ख) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं: (रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.65	0.53
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.10	0.09
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	0.02	0.01
4	अंतिम लाभ		
5	बैठक शुल्क		
	कुल	**0.76**	**0.63**

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**वस्तु और सेवाओं की बिक्री**				
1.1	**संविदा राजस्व**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
1.2	**किराया आय**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
2	**वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कार्य व्यय	धारक कंपनी	-	-
3	**प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.02	0.02
4	**ब्याज व्यय**		धारक कंपनी		
4.1	**ऋण पर ब्याज व्यय**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	41.51	52.81
5	**ऋणों का पुनर्भुगतान**	इरकॉन इंटरनेशनल	धारक कंपनी	38.15	15.44

		लिमिटेड			
6	**प्राप्त अग्रिम / ऋण**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी		18.00
7	**उपयुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लेन-देन**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी		-

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं: (रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**संव्यवहार की प्रकृति**	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2020 को**
1	**प्राप्त इक्विटी (देयता)**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	150.00	150.00
2	**कर्ज**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	526.00	564.15
3	**निम्न के प्रति देय राशि**		धारक कंपनी		
3.1	**व्यापार देयताएं**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	0.97
3.2	**अन्य देयताएं**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.17	0.11

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।

(Ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

(Iv) कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्षों की वित्तीय स्थिति और उस बाजार से संबंधित होता है, जिसमें वे संव्यवहार करते हैं।

(V) इरकॉन आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पांच अंशकालिक निदेशक हैं, जो कि धारक कंपनी द्वारा बोर्ड पर नामांकित हैं और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है।

नोट 24: सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को इड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के "परिशिष्ट "ग"- सेवा नियायत व्यवस्थाओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। यह एससीए परिशिष्ट के कार्यक्षेत्रके अंतर्गता आता है क्योंकि नीचे दी गई दोनों शर्तों को पूरा किया जा रहा है:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व और लागत को स्वीकार करती है। कंपनी संविदा राजस्व को प्राप्य के उचित मूल्य पर स्वीकार करतीहै। व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान, कंपनी की 726.78 करोड़ की संपत्ति (निर्माण सेवाओं को प्रदान करने हेतु उसके संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए) को अमूर्त संपत्ति (उपयोगकर्ता को प्रभारित करने का लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 में पूरा किया गया था। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वीकृत राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड का प्रचालन दिनांक 07 जून 2018 से शुरू हो गया है और 31.03.2021 का समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 110.43 करोड़ रुपये के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीकार किया है। ।

रियायत शुल्क और उसके प्रीमियम को राजस्व अर्जित किए जाने हेतु भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे राजस्व के प्रति प्रभार के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार एनएचएआई को 20.72 करोड़ रुपये (20.80 करोड़ रुपये) के रियायत शूल्क का भुगतान किया गया है। रियायत समझौते के अनुसार ट्रैफिक सीमा से ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। यह एससीए रियायतकर्ता समझौते के खंड संख्या 28 और 29 के अनुसार पुननिर्धारित होने के कारण है।

निर्माण संविदा

इंड एएस-115 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 21**	**31 मार्च 20**
निर्माण सेवाओं से स्वीकृत राजस्व	-	-
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	110.43	94.17
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	-	-
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	-	-

नोट: 25 **इंड एएस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में यथापेक्षित प्रकटीकरण।**

चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट: 26 इंडएएस-8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" में यथापेक्षित प्रकटीकरण।

चालू वित्तीय वर्ष में लेखांकन अनुमानों या नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

नोट:- 27 कर्मचारी लाभ

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता

है। इंड एएस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

नोट :- 28 लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय

शून्य

नोट 29: प्रति शेयर आय

इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	**नोट**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (करोड़ रूपए में)	(ii)	(14.06)	(30.83)
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	15.00	15.00
प्रति शेयर आय (मूल)		(0.94)	(2.06)
प्रति शेयर आय (विलयित)		(0.94)	(2.06)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(14.06)	(30.83)
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**(14.06)**	**(30.83)**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का ओपनिंग बैलेंस	15	15
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	0	0
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**15**	**15**
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	0	0
पतला ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**15**	**15**

नोट 30: परिसंपत्ति की हानि

इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में , कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार,परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

नोट 31: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 के अनुसार , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(Ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एएस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 तक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया			31 मार्च 2021 तक
					आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	
क)	कंपनी के विरूद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	-
ख)	कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

(Iii) प्रतिबद्धताएं

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और	1	112.12	112.12

	इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:				
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**				
(i)	टोल रोड के रियायतग्राही अवधि के अंत तक एनएचएआई को देय रियायतग्राही शुल्क (नोट 24 एससीए का संदर्भ लें)		505.88		526.60
			618.00		**638.72**

फुटनोट:

(रुपये करोड़ में)

1

क्र.सं	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	112.12	112.12
	कुल	**112.12**	**112.12**

नोट 32. खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी केवल एक प्रचालनिक सेगमेंट में प्रचालन कर रही है इसलिए इंड एएस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" लागू नहीं है।

नोट 33. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	110.43	-	110.43	110.43	-	0.35	110.78
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	110.43	-	110.43	110.43	-	0.35	110.78

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, शून्य रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 110.78 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू		कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	94.44		94.44	94.44			94.44
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	94.44	-	94.44	94.44	-	-	94.44

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, शून्य रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 94.44 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. टोल टू वाहनों के लिए जारी मासिक पास से राजस्व ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार जारी किया जाता है, जिसकी पूरी राशि ऐसे लेनदेन की तिथि पर राजस्व के रूप में दर्ज की जाती है। ऐसे मासिक पास नॉन रिफंडेबल प्रकृति के होते हैं।

ग. संविदा शेष:

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	**0.46**	**0.14**
संविदा परिसंपत्तियां	-	-
संविदा दायित्व	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एकत्रण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में

उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एकत्र किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

34 पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकर करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की वहन राशि और संचलन शून्य है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

	(रुपये करोड़ में)
	31 मार्च, 2021 तक
01 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	**0.00**
संवर्धन	-
ब्याज की स्वीकृति	-
भुगतान	-
राशि 31 मार्च, 2020 को शेष	**0.00**
चालू	-
गैर चालू	-

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपये करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय		-
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च		-
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों		0.04
0.03		
से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18)		
	0.03	**0.04**

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

"कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा प्रचालित किए जाने हेतु पट्टे पर एनएचएआई के साथ हुए सेवा रियायत करार की शर्तों के भीतर टोल रोक से लगे निर्धारित क्षेत्र प्रदान किया है और शेष क्षेत्र को पट्टे व प्रचालन हेतु सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गय है। एचपीसीएल से 0.16 करोड़ रुपये (0.16 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की गई है और सिनर्जी से पट्टा भुगतानों के रूप में 0.16 करोड़ रुपये (0.12 करोड़ रुपये) प्राप्त किए गए हैं।"

गैर-रद्दकरणीय परिचालन पट्टों के तहत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया इस प्रकार है:

(रूपए करोड में)

	31 मार्च, 2021 को	**31 मार्च, 2020 को**
एक वर्ष के भीती	0.35	0.33
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	1.24	1.38
पांच वर्ष से अधिक	2.62	2.83
	4.21	**4.54**

नोट 35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-
	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-

2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु र्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

नोट सं.37 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत उल्लिखित अनुसार इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) की ना तो निवल परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या 1000 करोड़ या अधिक का टर्नओवर है; ना ही पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक ही है । इसलिए, कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान इरकॉन एसजीटीएल पर लागू नहीं होते हैं और कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट सं.37 अन्य प्रकटन

क) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाए गए कुछ शेष राशि पुष्टि/समाधान/समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पार्टियों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है। हालाँकि, कंपनी इनकी वसूली/भुगतान के संबंध में किसी भी भौतिक विवाद की अपेक्षा नहीं करती है।

ख) प्रबंधन की राय में, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

ग) विशेष रूप से महामारी की दूसरी लहर के कारण कोविड-19 महामारी की अवधि और प्रभाव, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता के साथ-साथ भविष्य की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उनके प्रभाव का सुदृढ अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि, कंपनी को रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि मुआवजे के रूप में अप्रत्याशित घटना के तहत इस तरह के नुकसान का दावा करने के लिए रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा संरक्षित किया गया है। लॉकडाउन व्यवधान / कोविड-19 महामारी के प्रभाव का समय-समय पर आकलन करना होगा और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति के रूप में सूचित करना होगा। यह कुछ राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।

घ) कुछ पूर्व अवधियों की राशियों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुतियों के साथ समायोजन हेतु पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही, चालू वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट () के तहत दिखाए गए हैं।

ड.) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने नए लेखांकन मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होती। एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के खंड-I, II और III में संशोधन करने के लिए दिनांक 24 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की, ताकि किसके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण को बढ़ाया जा सके। ये संशोधन कंपनी पर दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। संशोधन व्यापक हैं और कंपनी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687023

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(इटी माटा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2021
यूडीआईएन : 21501615AAAABQ3802

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 जुलाई 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/-
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2021

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

('इरकॉनएसजीटीएल')

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: irconsgtl@gmail.com